



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/62/2022-1213

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—25/09/2025

विषय— भारतमाला परियोजना अन्तर्गत पटना एवं सारण जिलान्तर्गत शेरपुर—दिघवारा (गंगा ब्रीज पार्ट पटना रिंग रोड) (0.00—15.020 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.065 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/148190/2021/803 दिनांक 27.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पटना एवं सारण जिलान्तर्गत शेरपुर—दिघवारा (गंगा ब्रीज पार्ट पटना रिंग रोड) (0.00—15.020 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.065 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के ऑनलाईन दिनांक 11.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) को द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 27.12.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The user agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 years) at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु रु० 8,45,067/- (रु० आठ लाख पैतालीस हजार सड़सठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित खाता में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CNRBR520230824 62144073 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.065 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कुल रु० 62,256/- (बासठ हजार दो सौ छप्पन रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित खाता में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CNRBR52023082462144073 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The user agency shall be submitted a satisfactory progress report regarding the compliance of earlier approved in-principle proposal (i.e. Proposal No. FP/BR/ROAD/4230/2012) before the issuance of Stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:		
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
2	The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site	इस शर्त का अनुपालन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	One tree should be translocated by the User agency at their own cost with using modern technology	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

(c)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.065 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/62/2022-1213

दिनांक- 25/09/2025

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, पटना को सूचना हेतु प्रेषित।

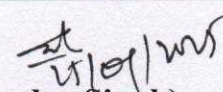
(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

25/09/25

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/ Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Project Director, National Highways Authority of India,/ Six Laning of Sherpur to Dighwara (0.00-15.020 Km) (Ganga Bridge Part of Patna Ring Road) Section of NH-131G Road under Bharatmala Pariyojana (Lot-5/Pkg-7).				
4	Extent of forest area involved	0.065 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	17.12.2022				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,45,067/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	62,256/-				
	h. Penal NPV	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1		e-challan	CNRBR52023082462	62,256/-	NPV	
2			144073 dated 24.08.2023	8,45,067/-	CA	
Total-			9,07,323/-			
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above sent to Union Bank of India on dt. 24.08.2023				
12	Any other remarks					


(Surendra Singh)
 Signature of APCCF (CAMPA)-
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.